1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
9वॉ तल ए–विंग, आई. पी. एस्टेट नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या :– 115
दिनांक :– 26/03/2018
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा
क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

कम सं0	प्रश्न	उत्तर
क.	क्या यह सत्य है कि दिल्ली में हुक्का बारों को प्रतिबंधित किया गया है;	जी हाँ।
ख.	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली पुलिस और नगर निगमों को उनके लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया गया है;	दिल्ली में हुक्का बार स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जी.एस. आर 500 (ई) दिनाँक 23.05.2017 के तहत दिनाँक 21. 07.2017 से पूर्णतः गैर कानूनी घोषित कर दी गई है। तदनुसार दिल्ली पुलिस एवं नगर निगमों को ऐसे सभी ईटरीज/रेस्तरां / होटलों का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दे दिया जिनमें हुक्का बार संचालित हैं।
ग.	प्रतिबंधित किए जाने से लेकर अब तक हुक्का बारों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण क्या है;	दिल्ली पुलिस एवं नगर निगमों से कार्यवाही रिपोर्ट बार बार मागी जाती रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कोष्ठ पश्चिमी जिला तम्बाकू नियंत्रण कोष्ठ के साथ दिनॉक 24.08.2017 को रेड भी की गई थी कुछ नमूने लेकर भारत सरकार की प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भिजवा दिया जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। **COTPA-2003** के तहत चालान जारी कर दिये गये थे मामला दिल्ली पुलिस को कार्यवाही के लिऐ भिजवा दिया गया था।
घ.	प्रतिबंध के बाद गैर कानूनी रूप से चल रहे हुक्का बारों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ;	स्वास्थ्य विभाग को केवल 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो दिल्ली पुलिस एंव नगर निगमों को कार्यवाही के लिए भिजवा दिया गया है।
च.	इन हुक्का बारों का दुबारा चलना रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;	स्वास्थ्य निदेशालय समय–समय पर दिल्ली पुलिस नगर निगमों एंव नई दिल्ली नगर परिषद को दिल्ली को हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए रेड करने का अनुग्रह करता रहता है। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ हुक्का बार के प्रतिबंध को लागू करने की निगरानी रख रहा है।
छ.	क्या निजी संपत्तियों से हुक्का बारों के चलने के मामले भी सामने आए है ; और	एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो जिला स्वास्थ्य टीम एंव दिल्ली पुलिस को कार्यवाही के लिए भिजवा दी गयी है।
ज.	ऐसे हुक्का बारों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?	दिल्ली पुलिस एंव नगर निगमों को समय–समय पर ईटरीज/रेस्तरां / होटलो पर रेड करने के लिए सूचित किया जाता है। जिला तम्बाकू नियंत्रण कोष्ठ को भी इसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए कहा जाता है जिससे गैर कानूनी हुक्काबार संचालित नहीं कर सकें। स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य सुविधाओं एंव सामाजिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर जनता को हुक्काबार के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में बताया जाता है।

(राजीव यदुवंशी)
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
दिल्ली सरकार

Raajiv Yaduvanshi
Pr. Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
9th Level, Delhi Sectt., New Delhi